रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1608] नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2017/ज्येष्ठ 17, 1939
No. 1608] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2017/JYAISTHA 17, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2017

का.आ. 1815 (अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3340(अ), तारीख 10 दिसम्बर, 2015, द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह उक्त प्रारुप अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, राजपत्र, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, की प्रतियां जनता को तारीख 10 दिसम्बर, 2015, को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पूर्वोक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, कर्नाटक सरकार की अधिसूचना सं एफईई 140 एफडब्ल्यू एल 93, तारीख 3 अक्तूबर, 2000 के अनुसार अधिसूचित अत्तीवेरी पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ और धारवाड़ जिलों के मुडगोह तथा कलघाटकी की तालुक की सीमाओं में अवस्थित है और 2.226 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, स्थानीय कृषकों की सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अत्तीवेरी ग्राम में थ्याबंहाला पर 1992 में एक सिंचाई जलाश्य बनाया गया था जिसके परिणामरूवरूप विभिन्न किस्मों के पक्षी स्थानीय और प्रवासी पक्षियों दोनों आकर्षित हुए। पहले वर्ष 20 पक्षियों की प्रजातियों, उसके बाद अगले वर्ष 35 प्रजातियों को देखा गया था।चूंकि जलाशय आस पड़ोस में विपुल पोषणकारी भूभागों वाले शांत तथा अविक्षुब्ध परिक्षेत्र में आर्द्र

पतझड़ी वन के मध्य में अवस्थित है, यह अपने प्रजनन क्रियाकलापों के लिए यहां आश्रय पाने वाले पक्षियों के लिए स्वर्ग बन गया है ।

और, इस मानव निर्मित प्राकृतिक वास में 1200 से अधिक पक्षियों के जोड़े प्रजनन करते हुए पाए जाते हैं जिनमें सफेद बुज्जा, बगुला, छोटा जलकौआ, चमचा चोंच, रंगीन चमरखेंच, जैसी कुछ प्रजातियां हैं जो यहां प्रजनन करती हैं और टिटहरी जलमुर्गी पनलुआ, बांकर, भारतीय झबरा आदि जैसे पक्षी सालों साल यहां पाए जाते हैं । सीखपरऔर, गार्गेनी, तिदारी, बटान आदि नवंबर मास से फरवरी मास के बीच प्रजनन के लिए यहां प्रवास करते हैं । मुंडागोड, हलियल और येलापुर ताल्लुकों के संन्निकट क्षेत्रों में बहुत से छोटे और बड़े जलाशय भी पक्षियों के घोंसला, उनको पोषण तथा प्रजनन करने में भी सहायता करते हैं जो इस प्रकार इस अभ्यारण्य को एक आदर्श जलीय प्राकृतिक वास का निर्माण करते हैं ।

और, अत्तीवेरी पक्षी अभ्यारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिक की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों और उद्योगों के वर्गो और उनके प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में अत्तीवेरी पक्षी अभ्यारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर से 1.90 किलोमीटर तक के परिवर्ती क्षेत्र को अत्तीवेरी पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**—(1) अत्तीवेरी पक्षी अभयारण्य की सीमा के इर्द गिर्द पारिस्थितिक संवेदी जोन का कुल क्षेत्र 1.0 किलोमीटर से 1.90 किलोमीटर तक की सीमा के साथ 10.70 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और ऐसे जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** के रुप में उपाबद्ध है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के मानचित्र तथा इसकी सीमा के ब्यौरों के साथ अक्षांश और देशान्तर **उपाबंध II** के रुप में उपाबद्ध है ।

(3) अत्तीवेरी पक्षी अभयारण्य की सीमा पर तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पर प्रमुख बिंदुओ के भू- निर्देशांक **उपाबंध III** के रुप में उपाबद्ध है ।

(4) अत्तीवेरी पक्षी अभयारण्य के आस पास पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों और रिजर्व वन क्षेत्र का वर्णन **उपाबंध IV** के रुप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना— (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि ;
(iv) राजस्व;
(v) नगर विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज;
(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के साथ मानचित्र लगे होंगे जिनमें विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं के ब्यौरें होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैरा 4 में की सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का अनुवर्तन करेगी और स्थानीय समुदायों की आजीनिका सुरक्षा के लिए पारिस्थितिक अनुकूल विकास को सुनिश्चित करेगी और उसका संवर्धन करेगी।

(8) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार में अपने मानीटरी के कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-—** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:—

(1) **भू-उपयोग** — (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय परिसर या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए क्षेत्रों में उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि और अन्य भूमियों का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है तथा क्रियाकलापों के लिए जैसे:—

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डारों और स्थानीय सुविधाएं जो पारिस्थितिक पर्यटन का समर्थन करती है ग्रह वास सहित; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप जो पैरा 4 के अंतर्गत दिए गए है:

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक और उद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में प्रकट होने वाली कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों जिसमें पुन: वनीकरण और वास जीर्णोद्धार क्रियाकलाप है, करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**—आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों, नदियों और जलमार्गों की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना समाविष्ट होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे जिससे ऐसे क्षेत्रों में या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन**— (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी।

(ख) पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग, द्वारा पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन के क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय अत्तीवेरी पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, होटल और रिसोर्ट का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

परंतु, उक्त अभ्यारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, नए होटलों और रिसोर्टों की पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व अभ्यांकित तथा पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात किए जाएंगे;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शक सिद्धांतों (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत.—** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए तैयार की जाएगी जो ऐसी आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.—** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक, सौंदर्यपरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और परिवेश की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों 2000 के अनुसार किया जाएगा। पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए।

(7) **वायु प्रदूषण —** पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.—** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट .—** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ख) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(ग) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(घ) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.**— जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं. का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या जलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.**— पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.**— पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.**— पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14)**यानीय परिवहन.**— परिवहन की यानीय संचलन आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय संचलन के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15)**यानीय प्रदूषण.**— यान प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार की जाएगी और स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(16)**औद्योगिक ईकाइयां.**— (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) फरवरी, 2016 में पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को ही अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.**— पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित करेगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री वाले विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची— पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का विनिर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसार की जाएगी।
(2)	प्रदूषण(जल या वायु या मृदा या ध्वनि आदि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	कोई नई या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नही दी जाएगी और पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों के वर्गीकरण के अनुसार सिर्फ गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुमति तब तक दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो।
(3)	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(4)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(5)	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(6)	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल की स्थापना और ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट सामान्य जलाए जाने की सुविधा के लिए।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट की कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचारित/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है और औद्योगिक प्रक्रिया और स्थापन प्रतिष्ठान, अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भष्मीकरण की सुविधा को और संस्थापन को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।

(7)	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों आदि द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(8)	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(9)	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(10)	जलावन लकड़ियों का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(11)	पवन मिलों का परिनिर्माण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(12)	मछली पकड़ना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
(13)	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं । परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी नए वाणिज्यिक होटल एवं रिसोर्टों को ही अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं ।
(14)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी । परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे यह आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।

(15)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि उद्यान, जो पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से बने उत्पादों का उत्पादन करते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
(16)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
(17)	वन उत्पादों और गैर-काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(18)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
(19)	नागरिक सुख-सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित किए जाएंगे।
(20)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित किए जाएंगे।
(21)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(22)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(23)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
(24)	स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि जल कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(25)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे और

		उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्रावों का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।
(26)	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(27)	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुआ, बोर कुआ, आदि ।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलाप की मानीटरी की जाएगी।
(28)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(29)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(30)	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(31)	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(32)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
(33)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(34)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(35)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(36)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(37)	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
(38)	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(39)	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(40)	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(41)	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(42)	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) उपायुक्त, उत्तर कन्नड़ —अध्यक्ष ;

(ii) पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि — सदस्य ;

(iii) शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि — सदस्य ;

(iv) किसी विख्यात संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थिति के क्षेत्र में तीन वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाला एक विशेषज्ञ — सदस्य ;

(v) गैर सरकारी संगठन का पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक प्रतिनिधि रहा है जिसे कर्नाटक सरकार सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाए — सदस्य ;

(vi) कर्नाटक राज्य का प्रतिनिधि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड —सदस्य ;

(vii) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य — सदस्य ;

(viii) वन संरक्षक और निदेशक, —सदस्य सचिव।

6. निर्देश निबंधन— (1) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर संबद्ध पार्क उपवन संरक्षक का ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध V** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए होंगे ।

[फा. सं. 25/144/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिक संवेदी जोन में अत्तीवेरी पक्षी अभयारण्य की सीमा रेखा

उत्तर- गरूड़ होनीहल्ली ग्राम की सीमा सामान्य अंतर ग्राम के संयोजन बिंदु से प्रारंभ होती है और सर्वे सं 297 और आस्थाकट्टी ग्राम छोटी टैंक के निकट सर्वे सं 114 है इसके बाद रेखा रिजर्व वन सीमा के साथ पूर्वी दिशा में और अस्थाकट्टी ग्रामों की सीमा सर्वे सं 114, 113, 110, 111, 102, 101, 100, 97 और 96 की ओर जाती है।इसके बाद यह उसी वन सीमा के साथ उत्तर की ओर जाती है और उसी ग्राम के भू-भाग के सर्वे सं 67 पहुंचती है।

पूर्व- बिन्दु के ऊपर से सीमा रिर्जव वन सीमा में पूर्व की ओर तक उ.15^{0} 5' 35.68" पू. 75^{0} 3' 11.36", के सामान है, इसके बाद सीमा बैंदलगट्टी ग्राम एवं वन की रिर्जव वन सीमा के साथ बाहरी रेखा से होते हुए सर्वे सं 85 तक उ. 15^{0} 4' 52.78" पू 75^{0}3' 51.07". के समान है। इसके बाद रेखा प्रवाह के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा में उ.15^{0} 4' 43.0" पू. 75^{0} 3' 4.53", तक की ओर जाती है इसके बाद रेखा अनवरत दक्षिण की ओर समान रूप के साथ उ.15^{0}4' 28.28" पू 75^{0} 3' 45.48", तक के बिंदु पहुंचती है; इसके बाद रेखा दक्षिण दिशा में समान रूप उ. 15^{0} 4' 16.05" पू75^{0} 3' 43.71" तक बेंदालागट्टी और वाडाघाटा ग्रामों की अंतर सीमा से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा दक्षिण पश्चिम दिशा में समान रूप से उ. 15^{0} 3' 51.69" पू 75^{0} 3' 26.78". तक से हाते हुए जाती है।

दक्षिण- बिंदु के ऊपर से रेखा दक्षिण पश्चिम दिशा में समान रूप से उ15^{0} 3' 38.83" पू 75^{0}3' 8.08", तक अग्रसर होती है इसके बाद रेखा पश्चिम की ओर समानरूप से उ. 15^{0} 3' 34.18" पू. 75^{0}2' 42.4". तक की ओर जाती है इसके अतिरिक्त रेखा अनवनत रूप से उ.15^{0} 3' 38.21" पू. 75^{0} 2' 23.69". तक पहुंचती है इसके बाद सीमा जिला उन्तारा कन्नाडा के हुनुगुंडा की रिर्जव वन सीमा के साथ उत्तरी पश्चिम दिशा में यह प्रवाह के साथ पहुंचती है।

पश्चिम- बिंदु के ऊपर से यह रेखा कालाघाटागी तालुक सीमा के साथ साथ रिर्जव वन सीमा के साथ पश्चिम दिशा की ओर जाती है इसके बाद यह रिर्जव वन सीमा के साथ उत्तर की ओर जाती है और ग्राउड होनीहल्ली ग्राम की सीमा से होते हुउ उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुडती है संर्वे सं 318, 319, 311, 302, 301 और 297 तक जहां से इस बिंदु की रेखा प्रारंभ होती है वही पहुंचती है।

उपाबंध II

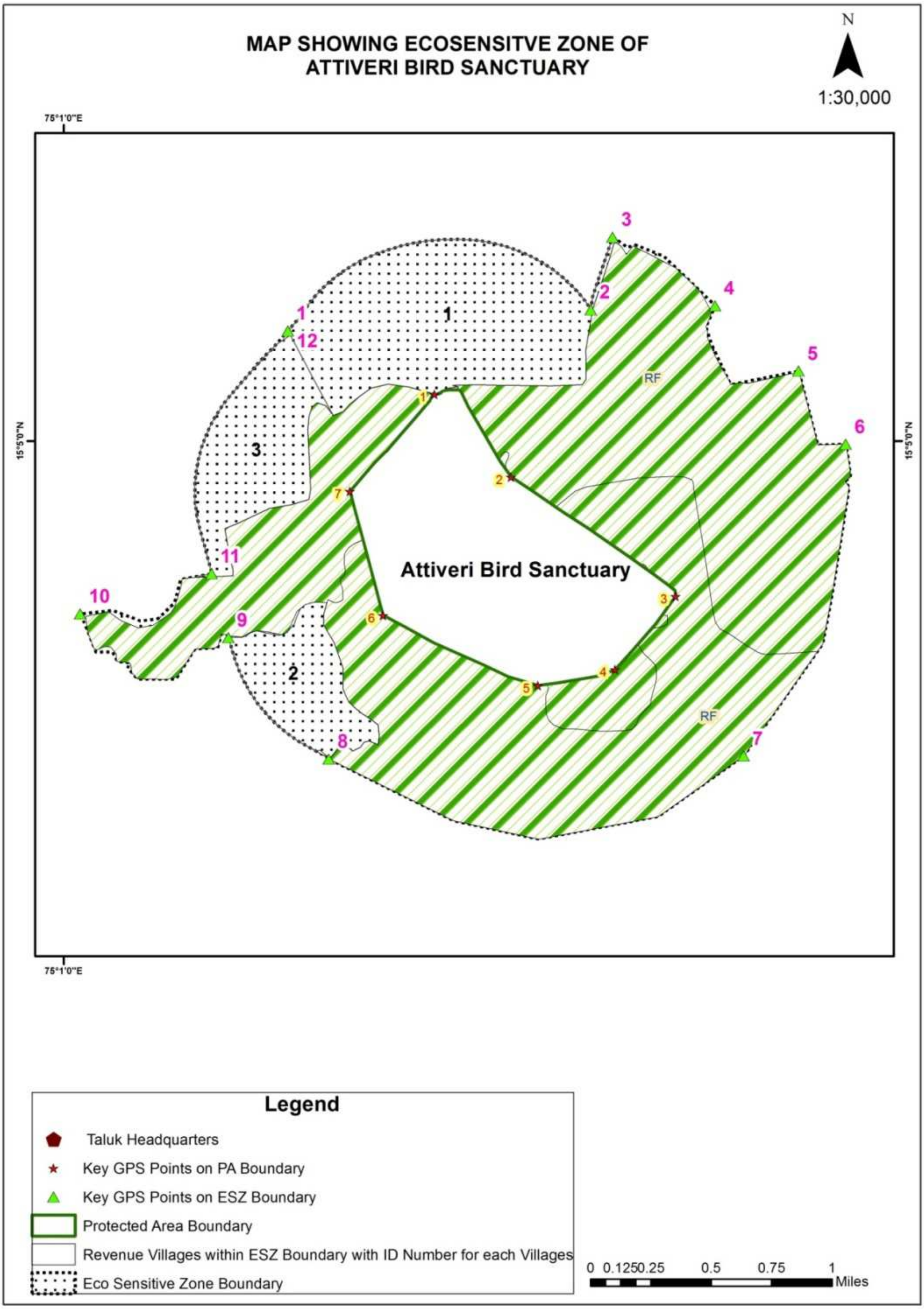
N
MAP SHOWING ECOSENSITVE ZONE OF
ATTIVERI BIRD SANCTUARY
1:30,000
75°1'0"E
15°5'0"N
Attiveri Bird Sanctuary
RF
RF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Legend
Taluk Headquarters
Key GPS Points on PA Boundary
Key GPS Points on ESZ Boundary
Protected Area Boundary
Revenue Villages within ESZ Boundary with ID Number for each Villages
Eco Sensitive Zone Boundary
0 0.1250.25 0.5 0.75 1
Miles

उपाबंध III

अत्तीवेरी पक्षी अभयारण्य की सीमा पर प्रमुख बिंदुओ के भू- निर्देशांक को दर्शाने वाली सारणी

मानचित्र आई.डी	देशांतर			अक्षांश		
	डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड
1	75	2	20.00	15	5	10.08
2	75	2	36.50	15	4	52.21
3	75	3	12.03	15	4	26.46
4	75	2	58.96	15	4	10.62
5	75	2	42.34	15	4	7.13
6	75	2	8.90	15	4	22.34
7	75	2	1.73	15	4	49.11

अत्तीवेरी पक्षी अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पर प्रमुख बिंदुओ के भू- निर्देशांक को दर्शाने वाली सारणी

मानचित्र आई.डी	देशांतर			अक्षांश		
	डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड
1	75	1	48.36	15	5	23.81
2	75	2	53.75	15	5	28.38
3	75	2	58.44	15	5	44.10
4	75	3	20.57	15	5	29.24
5	75	3	38.59	15	5	15.15
6	75	3	48.74	15	4	59.28
7	75	3	26.73	15	3	51.90
8	75	1	57.19	15	3	51.24
9	75	1	35.53	15	4	17.50
10	75	1	3.51	15	4	22.62
11	75	1	31.89	15	4	31.30
12	75	1	48.36	15	5	23.81

उपाबंध-IV

अत्तीवेरी पक्षी अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची का विवरण

मानचित्र आई.डी	ग्रामों के नाम	तालुक	जिला	क्षेत्र हेक्टयर में	अक्षांश			देशांतर			टिप्पणियां
					डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड	
1	आस्थाकट्टी	कालाघाटागी	धारवाद	160.66	15	5	25.62	75	2	22.16	आंशिक गांव
2	गरूदा होनीहल्ली	कालाघाटागी	धारवाद	72.56	15	4	57.96	75	1	41.47	
3	हुनागुंडा	मुनगोड़	उत्तराखण्ड	51.75	15	4	7.56	75	1	51.67	
				28.76	अत्तीवेरी पक्षी अभयारण्य के संलग्न के भीतर का क्षेत्र						
4	बेंदालागट्टी	कालाघाटागी	धारवाद	785.26	15^0 05' 54"			75^0 04' 12"			रिर्जव वन क्षेत्र (बाडो के भीतर)
5	नेलाहारावी	कालाघाटागी	धारवाद		15^0 05' 04"			75^0 00' 31"			
6	अरसीनगेरी	मुनगोड़	उत्तराखण्ड		15^0 02' 58"			75^0 03' 28"			
		कुल:		**1070.24**							

उपाबंध V

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2017

S.O. 1815(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 10th December, 2015 vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3340 (E), dated the 10th December 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 10th December 2015;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification;

AND WHEREAS, the Attiveri Bird Sanctuary notified as per Government of Karnataka Notification no. FEE 140 FWL93, dated the 3rd October, 2000 and located in the borders of Mundgod and Kalghatgi Taluka of Uttar Kannada and DharwadDistricts of Karnataka State is spread over an area of 2.226 square kilometer;

AND WHEREAS, in 1992, an irrigation tank was built across Thayavvanahalla at Attiveri village to cater the irrigation needs of the local farmers, which also resulted in attracting varieties of birds, both local and migratory; the first year witnessed about 20 species of birds, followed by 35 species in the next year, and as the reservoir is located in the midst of a moist deciduous forest in a calm and serene locality with abundant feeding grounds in the surroundings, it became a heaven for the birds to seek refuge here for their breeding activities;

AND WHEREAS, more than 1200 pairs of birds are found breeding in this man made habitats White Ibis, Herons, Little Cormorants, Spoonbills, Painted storks are some of the species, which breed here, birds like Lapwings, Water hen, Stilt, Darter, Indian shag, etc. are found throughout the year; Pintails, Gargany, Shoveller, Plovers, etc. Migrate here forbreeding between November to February and many small and big tanks in the adjacent areas of Mundagod, Haliyal and Yellapur taluks also help the birds to nest, feed and breed, thus making up this Sanctuary an ideal aquatic habitat;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Attiveri Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area varying from 1 kilometer to 1.90 kilometers from the boundary of Attiveri Bird Sanctuary in the State of Karnataka as the Attiveri Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—** (1) The total geographical area of the Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 10.70 square kilometers with an extent varying from 1.0 kilometre to 1.90 kilometres around the boundary of Attiveri Bird Sanctuary and the boundary description of the said Zone is appended as **Annexure-I**.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II**.

(3) The Geo-coordinates of major points on the boundary of Attiveri Bird Sanctuary and on the boundary of Eco-sensitive Zone the is appended as **Annexure-III.**

(4) The details of villages and Reserve Forest area falling within the Eco-sensitive Zone around Attiveri Bird Sanctuary are appended as **Annexure- IV**.

2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.—** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said Plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the table in paragraph 4 and ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-—**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse:—** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the State Government to meet the residential needs of the local residents , and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agriculture area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.— The catchment areas of all natural springs, rivers and channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn

up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities of or near these area which are detrimental to such area.

(3) **Tourism.—** (a)The activity relating to tourism within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan which shall form fact of the Zonal Master Plan.

(b)The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The activities of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within one kilometre from the boundary of the Attiveri Bird Sanctuary or upto the extent of the eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that, beyond the distance of one kilometre from the boundary of the said Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development based on the carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) Natural heritage.— All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.— Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.— Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 made under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.— The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw of guidelines and regulation for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.— Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (prevention and control of pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and rules made thereunder.

(9) Solid wastes.- Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357(E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time;

(b) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(c) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(d) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.— Bio medical waste management shall be as under:-

(a) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time;

(b)no common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.—The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.—The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.—The e- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel for example CNG etc.

(16) Industrial units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-
(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	**Activity**	**Description**
(1)	**(2)**	**(3)**
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 04th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new or expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted and only non-polluting industries may be permitted within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste shall be permitted within Eco sensitive Zone and further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment, hospitals, etc. shall be and prohibited.
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
8.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Commercial use of fire wood	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Erection of wind mills	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
12.	Fishing	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
B. Regulated Activities		
13.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
14.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
15.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per the classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the Competent Authority.
16.	Felling of trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
17.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.

18.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable law (underground cabling may be promoted).
19.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
21.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
22.	Protection of hill slopes and river banks	Regulated under applicable laws.
23.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
24.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
25.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, and the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
26.	Commercial extraction of surface and ground water	Regulated under applicable law.
27.	Open well, bore well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity shall be monitored by the concerned authority.
28.	Solid waste Management.	Regulated under applicable laws.
29.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
30.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
31.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
32.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy and fuels	Bio gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
38.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.

39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill development.	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.-The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(i)	Deputy Commissioner, Uttar Kannada	- Chairman;
(ii)	Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka	- Member;
(iii)	Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka	- Member;
(iv)	One expert in ecology from reputed institution or university of the State to be nominated by the Government of Karnataka for a term of three years in each case	- Member;
(v)	A representative of Non-Government Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Karnataka for a term of three years	- Member;
(vi)	Representative of Karnataka State Pollution Control Board.	- Member;
(vii)	Member, State Biodiversity Board	- Member;
(viii)	The Conservator of Forests & Director	-Member Secretary.

6. Terms of reference:-

(1) The tenure of the Monitoring Committee shall be three years.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended as **Annexure-V.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification .

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed, by the Hon,ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Trubunal.

[F. No. 25/144/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Boundary description of the Eco-sensitive Zone aroundAttiveri Bird Sanctuary.

NORTH: The line starts at a junction point on the common inter village boundary of Garudhonihalli village Sy No. 297 and Asthakatti village Sy Nos. 114 near a small tank, then the line runs in east direction along the reserve forest boundary and borders of SY No 114, 113, 110, 111, 102, 101, 100, 97 & 96 of Villages Asthakatti. Then it runs North along the same reserve forest boundary and reaches the corner of Sy No 67 of the same village.

EAST: From the above point the boundary runs eastwards in the reserve forest boundary till the co-ordinate N 15^0 5' 35.68" E 75^0 3' 11.36", then the boundary passes along outer line of reserved forest boundary of Bendlagatti village & forest Sy. No 85 till the co-ordinate N 15^0 4' 52.78" E $75^0$3' 51.07". Then the line runs in south-west direction along the stream till the co-ordinate N 15^0 4' 43.0" E 75^0 3' 4.53", then the line continuous southwards to reach the point with co-ordinate N $15^0$4' 28.28" E 75^0 3' 45.48", then line passes in south direction till the co-ordinate N 15^0 4' 16.05" E 75^0 3' 43.71" on the inter village boundary of Bendlagatti and Vadaghatta villages. Then line passes in south-west direction till the co-ordinate N 15^0 3' 51.69" E 75^0 3' 26.78".

SOUTH: From the above point line proceeds in south-west direction till the co-ordinate N 15^0 3' 38.83" E $75^0$3' 8.08", then the line runs westwards till the co-ordinate N 15^0 3' 34.18" E $75^0$2' 42.4". Further the line continuous till it reaches the co-ordinate N 15^0 3' 38.21" E 75^0 2' 23.69". Then the boundary runs in north-west direction along the reserve forest boundary of Hunugunda of Uttarakannada district till it reaches a stream.

WEST: From the above point the line runs in west direction along the Kalaghatagitaluk boundary as well as reserve forest boundary. Then it runs North along the reserve forest boundary and turns North-East direction through the borders of Garudhonihalli Village Sy. Nos. 318, 319, 311, 302, 301 & 297 till it reaches the point where the line begins.

ANNEXURE-II

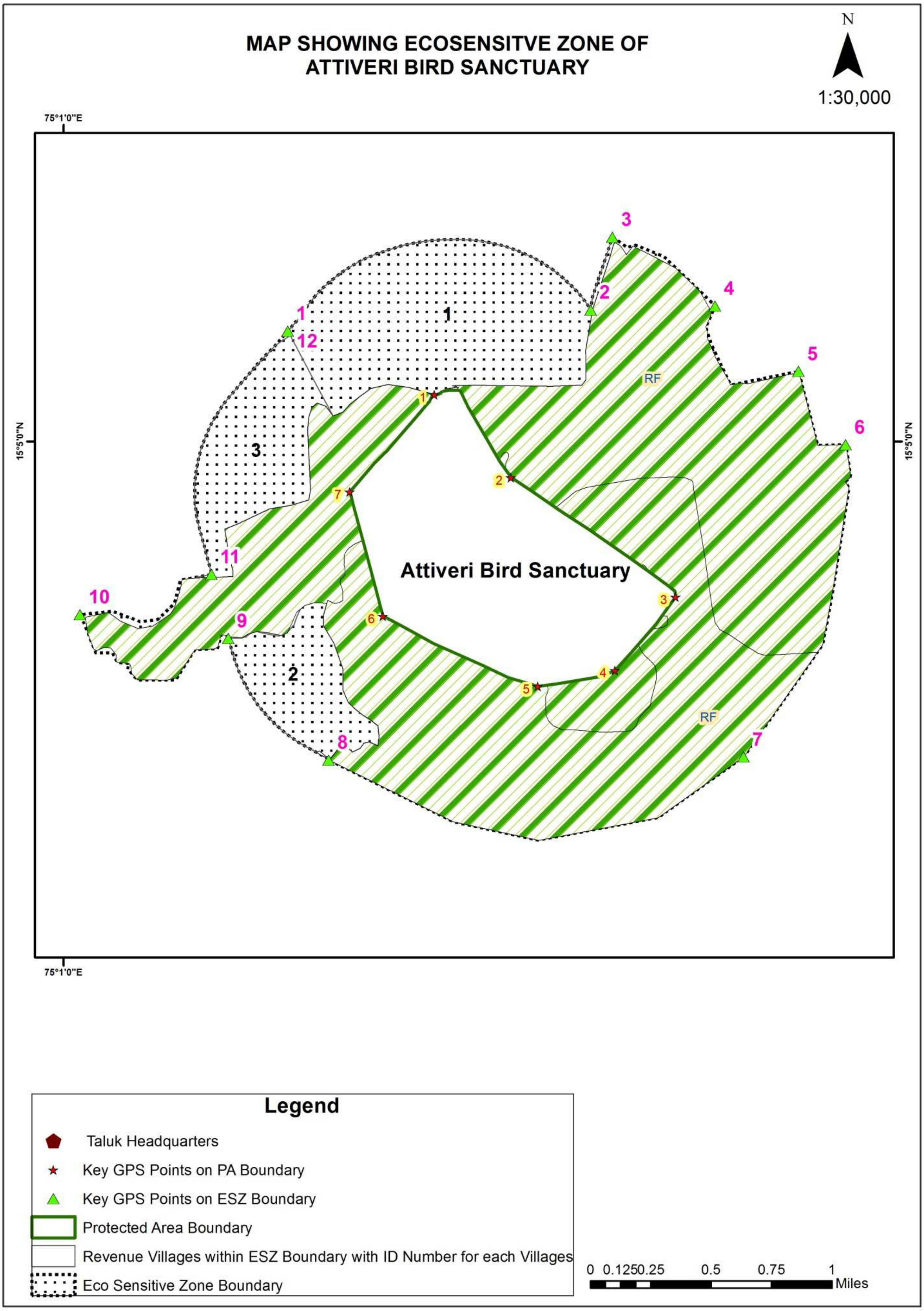
MAP SHOWING ECOSENSITVE ZONE OF
ATTIVERI BIRD SANCTUARY
N
1:30,000
75°1'0"E
15°5'0"N
Attiveri Bird Sanctuary
RF
Legend
Taluk Headquarters
Key GPS Points on PA Boundary
Key GPS Points on ESZ Boundary
Protected Area Boundary
Revenue Villages within ESZ Boundary with ID Number for each Villages
Eco Sensitive Zone Boundary
0 0.1250.25 0.5 0.75 1
Miles

ANNEXURE-III

Table showing Geo-coordinates of major points on the boundary of AttiveriBird Sanctuary boundary.

Map ID	Longitude			Latitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	75	2	20.00	15	5	10.08
2	75	2	36.50	15	4	52.21
3	75	3	12.03	15	4	26.46
4	75	2	58.96	15	4	10.62
5	75	2	42.34	15	4	7.13
6	75	2	8.90	15	4	22.34
7	75	2	1.73	15	4	49.11

Table showing Geo-coordinates of major points on the on the Eco-Sensitive Zone boundary around Attiveri Bird Sanctuary boundary.

Map ID	Longitude			Latitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	75	1	48.36	15	5	23.81
2	75	2	53.75	15	5	28.38
3	75	2	58.44	15	5	44.10
4	75	3	20.57	15	5	29.24
5	75	3	38.59	15	5	15.15
6	75	3	48.74	15	4	59.28
7	75	3	26.73	15	3	51.90
8	75	1	57.19	15	3	51.24
9	75	1	35.53	15	4	17.50
10	75	1	3.51	15	4	22.62
11	75	1	31.89	15	4	31.30
12	75	1	48.36	15	5	23.81

ANNEXURE-IV

Details of the list of villages falling within the Eco-Sensitive Zone around Attiveri Bird Sanctuary.

<table>
<tr><th rowspan="2">Map ID</th><th rowspan="2">Name of the village</th><th rowspan="2">Taluk</th><th rowspan="2">District</th><th rowspan="2">Area in hectare</th><th colspan="3">Latitude</th><th colspan="3">Longitude</th><th rowspan="2">Remarks</th></tr>
<tr><th>Deg</th><th>Mins</th><th>Secs</th><th>Deg</th><th>Mins</th><th>Secs</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Astakatti</td><td>Kalghatgi</td><td>Dharwad</td><td>160.66</td><td>15</td><td>5</td><td>25.62</td><td>75</td><td>2</td><td>22.16</td><td rowspan="3">Partial villages</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Garuda Honihalli</td><td>Kalghatgi</td><td>Dharwad</td><td>72.56</td><td>15</td><td>4</td><td>57.96</td><td>75</td><td>1</td><td>41.47</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">Hungund</td><td rowspan="2">Mundgod</td><td rowspan="2">Uttara Kannada</td><td>51.75</td><td>15</td><td>4</td><td>7.56</td><td>75</td><td>1</td><td>51.67</td></tr>
<tr><td>28.76</td><td colspan="7">Enclosure area within Attiveri Bird Sanctuary.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Bendlagatti</td><td>Kalghatgi</td><td>Dharwad</td><td rowspan="3">785.26</td><td colspan="3">15^0 05’ 54”</td><td colspan="3">75^0 04’ 12”</td><td rowspan="3">Reserve forest areas (including enclosures)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Nelliharavi</td><td>Kalghatgi</td><td>Dharwad</td><td colspan="3">15^0 05’ 04”</td><td colspan="3">75^0 00’ 31”</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Arsingeri</td><td>Mundgod</td><td>Uttara Kannada</td><td colspan="3">15^0 02’ 58”</td><td colspan="3">75^0 03’ 28”</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Total:</td><td></td><td>1070.24</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

ANNEXURE–V

Performa of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
   [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.06.09 19:59:42 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.